संख्या-22011/2/99-स्थापना (क)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 21 , 2002

कार्यालय-ज्ञापन

विषय :-सील-बंद लिफ़ाफ़े से सम्बद्ध प्रक्रिया अपनाए जाने के बारे में जारी अनुदेशों के विभागीय पदोन्नति-समिति की किसी बैठक के निष्कर्षों का पुनर्विलोकन करने की दृष्टि से आयोजित बैठक की कार्यवाही में लागू किए जा सकने के बारे में स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 14.09.1992 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 22011/4/91 - स्थापना (क) में यथा निर्धारित सील-बंद लिफ़ाफ़े से सम्बद्ध प्रक्रिया अपनाए जाने के बारे में अनुदेशों का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछ मुक़दमों में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न इस विभाग के विचाराधीन रहा है कि क्या सील-बंद लिफ़ाफ़े से सम्बद्ध प्रक्रिया, विभागीय पदोन्नति-समिति की किसी बैठक के निष्कर्षों का पुनर्विलोकन करने की दृष्टि से आयोजित बैठक की कार्यवाही में अपनाई जानी अपेक्षित है या नहीं । इस मसले पर विधि-मंत्रालय के परामर्श से विचार-विमर्श किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि यदि विभागीय पदोन्नति-समिति की मूल बैठक के आयोजन के समय अथवा विभागीय पदोन्नति-समिति की मूल बैठक की सिफ़ारिशों के आधार पर संबंधित कर्मचारी से कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति से पूर्व, संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक मुक़दमा लंबित नहीं रहा हो अथवा वह निलम्बनाधीन नहीं रहा हो/रहीं हों तो विभागीय पदोन्नति-समिति की उपर्युक्त मूल बैठक के निष्कर्षों का पुनर्विलोकन करने की दृष्टि से आयोजित बैठक की कार्यवाही में दिनांक 14.09.1992 के कार्यालय-ज्ञापन में यथा निर्धारित सील-बंद लिफ़ाफ़े से सम्बद्ध प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती ।

2. जहाँ तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा-विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।

प्रतिभा मोहन

(श्रीमती प्रतिभा मोहन)
निदेशक (स्थापना-II)

सेवा में ,
भारत-सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग । 3/11/2.